



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 78/18

निर्णय दिनांक: 12.03.2018

1. विजयचन्द पुत्र श्री हनुमानमल जाति नाहटा निवासी गंगाशहर बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 07-03-1992  
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थिति:—

1. श्री नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के निर्णय दिनांक 07-03-1992 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 16 के मुरब्बा नम्बर 40/11 के किला नम्बर 5, 6 में 2 बीघा, 14 व 15 में 2 बीघा, किला नम्बर 16 में .17 बिस्वा, किला नम्बर 17 में .19 बिस्वा इसप्रकार 5 बीघा 16 बिस्वा कमाण्ड व किला नम्बर 1 ता 4 में 4 बीघा, 7 ता 13 में 7 बीघा किला नम्बर 18 में .19 बिस्वा व किला नम्बर

19 में 1 बीघा इसप्रकार कुल 12 बीघा 19 बिस्वा अनकमाण्ड एवं मुरब्बा नम्बर 40/3 में किला नम्बर 3 ता 5 में 3 बीघा, 6 में .16 बिस्वा, किला नम्बर 7 में 1 बीघा, किला नम्बर 8 में 0.19 बिस्वा इसप्रकार कुल 5 बीघा 15 बिस्वा कुल 24 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन दिनांक 07-03-1992 को किया गया है तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। परन्तु उक्त भूमि मोहरबन्द गजट में प्रकशित होने पर अन्य व्यक्तियों को आवंटित होने व उनका कब्जा काश्त होने के कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला ना ही रिकार्ड में अंकन हो सका। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07-03-1992 के विरुद्ध अपील दिनांक

06-02-18 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटनशुदा भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 07-03-1992 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 06-02-2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियाद घोषित की जाती है।

7. (1) हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 16 के मुरब्बा नम्बर 40/11 के किला नम्बर 5, 6 में 2 बीघा, 14 व 15 में 2 बीघा, किला नम्बर 16 में . 17 बिस्वा, किला नम्बर 17 में .19 बिस्वा इसप्रकार 5 बीघा 16 बिस्वा कमाण्ड व किला नम्बर 1 ता 4 में 4 बीघा, 7 ता 13 में 7 बीघा किला नम्बर 18 में . 19 बिस्वा व किला नम्बर 19 में 1 बीघा इसप्रकार कुल 12 बीघा 19 बिस्वा अनकमाण्ड एवं मुरब्बा नम्बर 40/3 में किला नम्बर 3 ता 5 में 3 बीघा, 6 में .16 बिस्वा, किला नम्बर 7 में 1 बीघा, किला नम्बर 8 में 0.19 बिस्वा इसप्रकार कुल 5 बीघा 15 बिस्वा कुल 24 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि आवंटित की गई तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। परन्तु अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हो सका ना ही रिकार्ड में अंकन हो सका क्योंकि उक्त भूमि गजट में प्रकाशित होने के कारण मोहरबन्द गजट में अन्य को आवंटितशुदा भूमि थी।

(2) जहाँ तक अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन का संबंध है, अपीलांट को आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन समिति की राय से बाद जाँच ही आवंटन किया गया था। अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया ना ही जाँच नहीं की गई, कि आवंटन दिनांक को उक्त आराजी जैर शुद्ध रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत मातहत का उक्त कृत्य धोर लापरवाही का द्योतक है। अदालत मातहत द्वारा की गई चूक अथवा लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता।

(3) अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन से पूर्व यह देखा जाना चाहिए था कि वादगत् भूमि अपीलांट के आवंटन की दिनांक को शुद्ध रूप से भूमिहीन श्रेणी के रूप में उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर व जाँच किये बिना ही वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को कर दिया गया जबकि उक्त भूमि आवंटन दिनांक को मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित भूमि थी ऐसी स्थिति में आराजी जैर का आवंटन अपीलांट को बतौर भूमिहीन नहीं किया जा सकता था।

(4) अपीलांट को पूर्व में अन्य आवंटियों को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। प्रकरण में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटि को नहीं दिया जा सकता। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जाँच की जानी चाहिए थी कि क्या आराजी जैर आवंटन दिनांक को अपीलांट की पात्रता अनुसार शुद्ध रूप से भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जाँच किये बिना अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। जो स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त आवंटन है।

(5) यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आवंटन पश्चात् रिकार्ड में अमलदरामद हेतु बार-बार सम्पर्क किया जाता रहा है। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलांट की पत्रावली पर कोई कार्यवाही

आज दिनांक तक नहीं की गई है। अपीलांत अन्तहीन समय तक अपने आवंटन के अमल दरामद हेतु इंतजार नहीं कर सकता। अदालत मातहत द्वारा ना तो अपीलांत का आवंटन खारिज किया गया ना ही अपीलांत के आवंटन का अमल दरामद किया गया। अततः अपीलांत को न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता।

(6) अदालत मातहत को तत्समय ही अपीलांत के आवंटन की पुष्टि करते हुए अपीलांत को आराजी जैर का कब्जा सुपुर्द करते हुए रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना अपीलांत को अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत की इस प्रकार की कार्यवाही किसी प्रकार से युक्तियुक्त/न्यायसंगत कार्यवाही नहीं कही जा सकती। अदालत मातहत व उसके अधीन कार्यरत कर्मचारी/पटवारी की उदासिनता या लापरवाही का दण्ड अपीलांत को नहीं दिया जा सकता।

(7) अदालत मातहत द्वारा अपीलांत का आवंटन आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया है। अपीलांत की पात्रता आज दिनांक तक कायम है।

(8) चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांत को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है, जो पूर्व में ही मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित होने व मोहरबन्द गजट में अन्य को आवंटित होने के कारण अपीलांत भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि अन्यत्र प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांत की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 07-03-1992 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांत को नियमानुसार उसकी पात्रता की जाँच करते हुए भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.03.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर